कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, बीकानेर

क्रमांक :– जिशिअ / मुमा / बीका / लेखा / 2023 / 1143 दिनांक :–14.7.23

समस्त प्रधानाचार्य
रा.उ.मा.वि / रा.बा.उ.मा.वि. समस्त ब्लॉक,
जिला बीकानेर ।

विषय– राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के अन्तर्गत समायोजित कार्मिको को सेवा निवृति पर देय अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान के सम्बन्ध में ।

प्रसंग – निदेशालय पत्र दिनांक 23.06.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय मा. शिक्षा राज. बीकाने के पत्र दिनांक 23.06.2020 की अक्षरत पालना सुनिश्चित करे। राज. स्वै. ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 (RVRES) के अंतर्गत राज्य सरकार में समायोजित कार्मिको के अनुदानित संस्था के सेवाकाल में अर्जित उपार्जित अवकाश (जिनका भुगतान अब न्यायिक निर्णयों की पालना में किया जाना है / किया जा रहा है) लेखे में निदेशक के संलग्न उक्त आदेश के बिन्दू संख्या 3 की पूर्ण पालना सुनिश्चित कर सेवा पुस्तिका में प्रमाण पत्र अंकित करे तथा जिला शिक्षा अधिकारी मु.मा. की लेखा शखा में मूल सेवापुस्तिका के साथ इसकी सूचना अविलंब भिजवावे । जिन RVRES कार्मिको की सेवा पुस्तिका जिला शिक्षा अधिकारी मु.मा.बीकानेर कार्यालय में पूर्व में ही भिजवाई जा चुकी हैं वे मूल सेवा पुस्तिका जिला शि.अ.बीकानेर कार्यालय से प्राप्त कर उसमें प्रमाण पत्र अंकित कर अतिशीघ्र पुनः जमा करावे ।

RVRES कार्मिको को सेवानिवृति पर कार्मिको को अनुपयोजित उपार्जित के बदले नकद भुगतान के लिए किए गए आदेश की दो प्रमाणित प्रति भी कार्यालय में भिजवावे ।

न्यायिक निर्णयों की पालना अतिशीघ्र की जानी है अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें । अन्यथा विपरीत परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

सलंग्न– निदेशालय का पत्र दिनांक 23.06.2020

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक, बीकानेर

क्रमांक :– जिशिअ / मुमा / बीका / लेखा / 2023 / दिनांक :–

प्रतिलिपि – समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि निदेशालय के उक्त आदेश की पालना अपने ब्लॉक के अधीनस्थ समस्त पीईईओ एवं प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि / रा.बा.उ.मा.वि. / एम.जी.जी.एस. से करवा कर पालना से इस कार्यालय को अवगत करावे **इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।**

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक, बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/माध्य/अनुदान/2019–20 दिनांकः–23.06.2

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा–मुख्यालय,
राजस्थान।

विषयः– राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के अन्तर्गत सामायोजित कार्मिको को सेवा निवृति पर देय अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक दिनांक 13.11.2019

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2011 से अनुदानित संस्थाओ में कार्यरत कार्मिको का समायोजन किया गया था। उक्त नियमो के अन्तर्गत समायोजित कार्मिको को दिनांक 30.06.2011 तक के उपार्जित अवकाश के शेष (अधिकतम 300 दिन) का भुगतान संस्था द्वारा किया जाना है, तथा न्यायालय निर्णयों की पालना में नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है। ऐसा ध्यान मे आया है कि समायोजित कर्मचारीयो द्वारा समायोजन से पूर्व व समायोजन के पश्चात की अवधि को मिलाकर 300 दिन की सीमा से अधिक अवकाश का नकद भुगतान (सेवा निवृति + समायोजन पूर्व) लिया जा रहा है, जो नियमानुसार गलत है तथा वसूली योग्य है। इस सम्बन्ध में निदेशालय स्तर से श्रीगंगानगर जिला शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ अनुदानित संस्था भोपालवाला आर्य उच्च माध्यमिक विद्यालय की जांच करने पर पाया गया कि समायोजित कार्मिकों के 30.06.2011 तक बकाया अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के प्रस्ताव जिला कार्यालय में भिजवाये गये तथा समायोजन पश्चात् सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान प्राप्त कर लिया गया जो कि दोनों को मिलाकर 300 की सीमा से अधिक होने के कारण वसूली योग्य है। इस प्रकार के प्रकरण आपके जिले में भी हो सकते हैं जिनका परीक्षण कराकर अधिक भुगतान की वसूली करना सुनिश्चित करें। अतः राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम–2010 के अन्तर्गत समायोजित कार्मिको को दिनांक 30.06.2011 को तथा समायोजन पश्चात् देय अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान के सम्बन्ध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक मुख्यालय) को निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है जिनकी पालना सुनिश्चित करते हुये अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालय अध्यक्षो एवं आहरण वितरण अधिकारीयों से भी निर्देशो की पालना सुनिश्चित करावें तथा अगर किसी समायोजित कर्मचारी को सेवा निवृतित पर अधिक भुगतान हुआ है तो वसूली कर राजकोष में जमा करावें।

1.अनुदानित कार्मिक जो दिनांक 01.07.2011 से समायोजित हुये है उनके उपार्जित अवकाश का शेष राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के नियम 5 (VIII) के अनुसार अग्रनीत करने को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

2.राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के अन्तर्गत समायोजन पश्चात् अर्जित उपार्जित अवकाश के अनुपयोजित शेष का सेवा निवृति पर नगद भुगतान देय है किन्तु राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम के नियम 91 बी के अनुसार 300 दिन की सीमा में ही देय है अतः समायोजन पूर्व अनुपयोजित अवकाश एवं सेवा निवृति पर अनुपयोजित अवकाश शेष मिलाकर 300 दिन की सीमा में ही भुगतान किया जाना है। उदाहरणार्थ अगर किसी समायोजित कार्मिक ने दिनांक 30.06.2011 को 300 दिन के अनुपयोजित उपार्जित अवकाश का भुगतान प्राप्त कर लिया है अथवा बकाया है तो उस कार्मिक को समायोजन पश्चात् सेवा निवृति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान देय नहीं हैं किन्तु किसी कार्मिक का समायोजन पूर्व 250 दिन का शेष है तो समायोजन पश्चात् 50 दिन की सीमा में उपार्जित अवकाश के शेष का नगद भुगतान किया जा सकता है।

3. अनुदानित कार्मिकों को न्यायालय निर्णयानुसार किये जाने वाले भुगतान की प्रविष्टी कर्मचारी की मूल सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से कर उपार्जित अवकाश का शेष शुन्य करना सुनिश्चित करें तथा सेवा निवृत कर्मचारी के अवकाश लेखे के अतिरिक्त सेवा पुस्तिका में भी लाल स्याही से इस आशय का नोट आवश्यकरूप से लगाया जाना आवश्यक हैं जिससे समायोजन पश्चात् सेवा निवृति पर सम्बन्धित कार्यालयअध्यक्ष के ध्यान में आ सके कि कर्मचारी को पूर्व में .....दिन का भुगतान हो चुका हैं।

4 समायोजन से पूर्व एवं समायोजन पश्चात् सेवा निवृति पर शेष अनुपयोजित उपार्जित अवकाश अगर 300 दिन से ज्यादा है तो 300 दिन से अधिक अवकाश की वसूली समायोजन पश्चात् दिये गये वेतन भत्तो के अनुसार होगी।

5 पूर्व में अगर इस तरह का अधिक भुगतान हुआं है तो वसूली करना सुनिश्चित करें यानि समायोजित कार्मिकों को यदि भुगतान हो चुका है तो ऐसे प्रकरणों की जाँच करवाकर वसूली करवाना सुनिश्चित करें।

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 13.11.2019 को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये थे जो दिसम्बर 2019 की शिविरा के पृष्ठ संख्या 30 पर छपा था किन्तु इसके बावजूद भी ऐसा ध्यान में आया हैं कि संस्थाओं से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों में इस आदेश की पालना नहीं की जा रही हैं अतः आपके कार्यालय तथा आपके अधीनस्थ सभी कार्यालयअध्यक्षों से इस आदेश की पालना आवश्यक रूप से कराना सुनिश्चित करें। इस आदेश की पालना के अभाव में अगर किसी संस्था को अधिक भुगतान हो जाता हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से जिममेदार होंगे।

(सौरभ स्वामी)
निदेशक (I.A.S.)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकःशिविरा / माध्य / अनुदान / 2019–20 दिनांकः– 23.06.2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्रीमान शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी माध्यमिक शिक्षा (विधि–प्रकोष्ठ) शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्यलेखाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
5. समस्त संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
6. संपादक शिविरा प्रकाशन को आगामी शिविरा अंक में प्रकाशन हेतु।
7. रक्षितपत्रावली।

निदेशक (I.A.S.)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर